

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / यो. / गैर.तक. / 82/३५।

भोपाल, दिनांक २५/०६/२०१९


आदेश

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड की संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 12.06.2019 में पारित ~~आन्तरिक्ष प्राप्ति~~ अनुसार प्रदेश की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत हम्माल एवं तुलावटी के चिकित्सा उपचार हेतु वर्ष में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण हेतु शिविर का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञाप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों को स्वास्थ्य परीक्षण निम्न शर्तों के तहत कराया जावेगा:-

1. मण्डी समिति में हम्माल एवं तुलावटी अनुज्ञाप्तिधारी हो।
2. हम्माल एवं तुलावटी की आयु 50 वर्ष से अधिक हो।
3. हम्माल एवं तुलावटी मण्डी में नियमित कार्य करता हो।
4. प्रत्येक वर्ष में दो बार (माह जनवरी एवं जुलाई में) संबंधित जिला/स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क स्थापित कर शिविर का आयोजन कर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावे।
5. स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत, एक्सरे, ब्लड प्रेशर, ई0सी0जी0, ब्लड प्रोफाईल, सोनोग्राफी, आखों की जांच, कानों की जांच कराई जावे।
6. शासकीय चिकित्सालय द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्वीकृत दरों के आधार पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावे।
7. जहां शासकीय चिकित्सालय में कंडिका क्रमांक 05 में उल्लेखित जांच उपलब्ध न हो अथवा शिविर आयोजित करने में असमर्थता जाहिर की गई हो वहां निजी चिकित्सालयों से कोटेशन प्राप्त किया जाकर न्यूनतम दर पर (अधिकतम राशि रूपये 1,000/-प्रति व्यक्ति) स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित कराया जावे।
8. मण्डी समिति के बजट में इस मद में प्रावधान न हो तो अनिवार्य रूप से प्रावधान किया जावे।
9. स्वास्थ्य परीक्षण पर होने वाले व्यय के लिये संयुक्त संचालक/उपसंचालक, आंचलिक कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत मण्डी समिति अपने स्तर से मण्डी निधि से राशि वहन करेगी।
10. कृपया प्रथम चरण में स्वास्थ्य परीक्षण 15 जुलाई के पूर्व करा लें तथा आयोजित शिविर की रिपोर्ट तथा चित्र प्रेषित करें।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल प्रभावशील होगा।



(फैज़ अहमद किंदवर्ड)
प्रबंध संचालक-सह-आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / यो. / गैर.तक. / 82 / ३५२

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

भोपाल, दिनांक २५/०६/२०१९

- (1) विशेष सहायक, माननीय मंत्री सह अध्यक्ष, मोप्रोराज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल.
- (2) प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- (3) कलेक्टर, जिला—.....म.प्र. (समस्त)
- (4) अपर संचालक(वित्त/कार्मिक/योजना/नियमन), मोप्रोराज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल.
- (5) संयुक्त/उपसंचालक, मोप्रोराज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय(समस्त) की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त योजना का क्रियान्वयन अधीनस्थ मंडी समिति में सुचारू रूप संचालित किया जावे एवं इस की समय—समय पर समीक्षा की जावे।
- (6) भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति.....जिला.....(समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि योजना का प्रचार प्रसार किया जावे एवं उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिये जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।


प्रबंध संचालक, सह-आयुक्त
मोप्रोराज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल